रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016/चैत्र 11, 1938

No. 232] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/ CHAITRA 11, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, **30** मार्च, 2016

सा.का.नि. 382(अ).-केन्द्रीय सरकार, कारपोरेट अधिनियम', 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) और वरिष्ठ सहायक निदेशक भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखापरीक्षा), ज्येष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखापरीक्षा) और उप सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखापरीक्षा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखापरीक्षा), ज्येष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखापरीक्षा) और उप सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखापरीक्षा) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आवेदन.**- इन नियमों के साथ उपाबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर यह नियम लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निर्हरताएं.**- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा)	04* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रुपए + 4800/- रुपए ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक। **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंधन लेखाकार या कंपनी सचिव या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक या प्रबंधन (वित्त) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में मास्टर या व्यवसाय अर्थशास्त्र में मास्टर या वाणिज्य में मास्टर या विधि में स्नातक। **अनुभव:** किसी सरकारी या सूचीबद्ध प्राइवेट संगठन से लेखापरीक्षा या न्याय संबंधी लेखापरीक्षा में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण-1** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरी जा सकेंगी। (अ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात, वेतनमान 2, रुपए 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य मूल काडर या विभाग में दिए गए ग्रेड में नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् वेतनमान 2, रुपए 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200 रुपए या समतुल्य मूल-काडर या विभाग में दिए गए ग्रेड में नियमित आधार पर उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की है; और (आ) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। **टिप्पण-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति :-** 1. निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - सदस्य 3. उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा)	05* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए	चयन	लागू नही होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	60% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा भी इसके अंतर्गत है, 40% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: विभागीय सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) जिन्होंने वेतनमान-2, रुपए 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4800 रुपए में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु या तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - सदस्य 3. उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रलय - सदस्य	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के दौरान (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वयत्त संगठनों के अधिकारी; (अ) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद नियमित आधार पर धारित किए हुए हों; या (ii) जिसने नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में वेतनमान-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4800 रुपए में या समतुल्य मूल काडर या विभाग में दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिसने नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में वेतनमान-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य मूल काडर या विभाग में तीन वर्ष की सेवा की हो; (आ) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो - **आवश्यक:** चार्टर्ड लेखाकार या लागत और प्रबंधन लेखाकार या कंपनी सचिव या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक या प्रबंधन (वित्त) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में मास्टर या व्यवसाय अर्थशास्त्र में मास्टर या वाणिज्य में मास्टर या विधि में स्नातक। **अनुभव:** किसी भी सरकारी संगठन में लेखापरीक्षा या न्याय संबंधी लेखापरीक्षा का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काउर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) 3 वर्ष होगी जो पांच वर्ष तक हो सकती है। **टिप्पण-2** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

टिप्पण-3 प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहीं यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा)	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए	चयन	लागू नही होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: विभागीय ज्येष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) जिन्होंने वेतनमान-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु या तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले	1. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - सदस्य 3. अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - सदस्य 4. उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रलय - सदस्य 2. समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे – 1. निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - सदस्य 3. उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वयत्त संगठनों के अधिकारी; (अ) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद नियमित आधार पर धारित किए हुए हैं; या (ii) जिसने नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में वेतनमान-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए या समतुल्य मूल काडर या विभाग में पांच वर्ष की सेवा की हो; (आ) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो - **आवश्यक:** चार्टर्ड लेखाकार या लागत और प्रबंधन लेखाकार या कंपनी सचिव या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक या प्रबंधन (वित्त) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में मास्टर या व्यवसाय अर्थशास्त्र में मास्टर या वाणिज्य में मास्टर या विधि में स्नातक। **अनुभव:** किसी सरकारी सूचीबद्ध प्राइवेट संगठन से लेखापरीक्षा या न्याय संबंधी लेखापरीक्षा में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) 4 वर्ष होगी।		

टिप्पण-2 प्रतिनियुक्ति (जिसमें अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहीं यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा.सं.ए.35011/28/2009-प्रशा.III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2016

G.S.R.382(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Company Affairs, Assistant Director (Forensic Auditing), and Senior Assistant Director Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Forensic Audit), Senior Assistant Director (Forensic Audit) and Deputy Director (Forensic Audit) in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, the Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Forensic Audit), Senior Assistant Director (Forensic Audit) and Deputy Director (Forensic Audit) Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or scale of pay.** - The number of posts, its classifications and the pay band and grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.** - The method of recruitment to the said post, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.** - No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary, or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Assistant Director (Forensic Audit)	04 * (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2 – Rs.9300-34800/- plus grade pay Rs.4800/-	Not Applicable	Not exceeding thirty years. **Note 1:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note**: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshwadeep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	**Method of recruitment**: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Chartered Accountant or Cost and Management Accountant or Company Secretary or Chartered Financial Analyst or Post Graduate Diploma in Management (Finance) or Master's in Business Administration (Finance) or Master's of Business Economics, or Master's in Commerce or Bachelor's in Law. **Experience:** One Year experience in audit or forensic audit from any government or listed private organization.	Not Applicable	Two years for direct recruits	By Direct Recruitment. **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government. (A) (I) Holding analogous posts on regular basis; or (II) With two years' regular service in the grade rendered after

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The Qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre or department; or (III) With six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay band-2 Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in Col 7. **Note:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee: (1) Director, Serious Fraud Investigation Office –Chairman; (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Senior Assistant Director (Forensic Audit)	05* (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs.15600-39100/- plus grade pay Rs.5400/-	Selection	Not Applicable

(7)	(8)	(9)	10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	60% by promotion failing which by deputation including short-term contract, 40% by deputation including short-term contract

(11)	(12)	(13)
Promotion : The Departmental Assistant Director (Forensic Audit) in Pay band-2 Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/- with two years of regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (Including Short-term Contract): Officers from the Central Government or State Governments or Union territories Administrations or Pubic Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisation; (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay or Pay band-2 Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs.4800/- or equivalent in the parent cadre or department; or (III) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay or Pay band-2 Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs.4600/- or equivalent in the parent cadre or department; (B) Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential** Chartered Accountant, or Cost and Management Accountant, or Company Secretary, or Chartered Financial Analyst, or Post Graduate Diploma in Management (Finance), or Masters in Business Administration (Finance) or Masters of Business	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation:** (i) Director, Serious Fraud Investigation Office –Chairman (ii) Additional Director , Serious Fraud Investigation Office – Member (iii) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing officer on deputation (including short-term contract).

Economics, or Masters in Commerce or Bachelor's in Law. **Experience:** One year experience in audit or forensic audit in any government organisation. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation [including short term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be for a period of three years extendable upto five years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation [including short term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Deputy Director (Forensic Audit)	01 * (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs.15600-39100/- plus grade pay Rs.6600/-	Selection	Not Applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Two years for Promotees	By Promotion failing which by deputation including short-term contract

(11)	(12)	(13)
<u>Promotion</u> The Departmental Senior Assistant Director (Forensic Audit) in Pay Band-3 Rs. 15600-39100/- + Grade Pay Rs. 5400/- with five years of regular service in the grade. **Note 1** – Where juniors who have	**1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** (1)Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; (2) Director, Serious Fraud Investigation Office – Member;	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (Including Short-term Contract) : Officers from the Central Government or State Governments or Union territories Administrations or Pubic Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations; (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre or Department; or (II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay band-3 Rs.15600-39100/- plus grade pay of 5400/- or equivalent in the parent Cadre or Department; (B) Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential** Chartered Accountant or Cost and Management Accountant, or Company Secretary, or Chartered Financial Analyst, or Post Graduate Diploma in Management (Finance) or Masters of Business Administration (Finance), or Masters of Business Economics, or Masters in Commerce or Bachelor's in Law. **Experience** Three year's experience in audit or forensic audit from any Government listed private organisation. **Note 1:** Period of deputation, including period of deputation [including short term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or	(3) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (4) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member. **2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1) Director, Serious Fraud Investigation Office – Chairman; (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	

department of the Central Government shall be for a period of four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation [including short term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		

[F. No. No.A.35011/28/2009-Adm.III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.